न्यायालय उप खण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी - इन्द्राज सिंह आर.ऐ.अस.

वाद पत्र सं. 01/2020

निर्णय दिनांक 19-2-2020

किशन सिंह पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी हांसियावास तहसील राजगढ़ जि

चूरू

वादी/प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू

प्रतिवादी/अप्रार्थ

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

धारा 136 राज.भू-राजस्व अधिनियम ।

उपस्थिति - 1.श्री चन्द्रभान कुलरिया एडवोकेट वास्ते - वादी

2.पैरोकार राज वास्ते - प्रतिवादी

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद अंतर्गत धारा आर.टी.एक्ट व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत इस आशय का किया कि कृषि भूमि खसरा नं. 231 तादादी 3.7433 हेक्टेयर रोही हांसियाव

तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित ही विवादित कृषि भूमि है । वादी नाम अन्य सभी राजकीय दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता सूचि, पेन कार्ड आदि व कृषि भूमि खसरा नं. 215,232,45,484,71,72 कुल तादादी 16.6175 हैक्टेयर रोही हांसियावास तहसील राजगढ़ जिला चूरू में शुद्ध रूप से किशन सिंह दर्ज चला आ रहा है व वादी को घर में कृष्ण के नाम से भी पुकारा जाता है जिस कारण विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय घरेलु नाम कृष्ण कुमार बता दिया गया जिस कारण उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अशुद्ध रूप से कृष्ण कुमार दर्ज कर दिया गया जिससे वादी किसान क्रेडिट कार्ड आदि की सुविधाओं से वंचित रह रहा है, उक्त राजस्व रिकार्ड की लिपिकीय अशुधि के कारण वादी का नाम विवादित कृषि भूमि की जमाबंदियो में भी अशुद्ध रूप से किशन सिंह की जगह कृष्ण कुमार ही दर्ज चला आ रहा है जिस कारण वादी विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम कृष्ण कुमार की जगह किशन सिंह घोषित करवा कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धी करवाने का अधिकारी है आदि आदि पैश किया, प्रतिवादी को सशुल्क तलब किया गया, प्रतिवादी ने वाद में कोई राज्य हित नहीं होना जाहिर कर वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना कथन किया है ।

वाद पत्र का कोई खंडन पैश नहीं हुआ है अतः तनकियात कायम नहीं की गई, साक्ष्य वादी में पी.डब्लू- 1 महावीर सिंह व पी.डब्लू- 2 उमेद सिंह परीक्षित हुये हैं अतः बहस वकील वादी सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेज वादी के राशन कार्ड, मतदाता सूचि, पेन कार्ड आदि व कृषि भूमि खसरा नं. 215,232,45,484,71,72 कुल तादादी 16.6175 हैक्टेयर रोही हांसियावास तहसील राजगढ़ जिला चूरू की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि

अनुसार वादी का शुद्ध नाम किशनसिंह है विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कृष्ण कुमार गलत रूप से दर्ज है जिस तथ्य की पुष्टि वादी पक्ष के मौखिक साक्ष्य से होती है जिस कारण वादी अपना वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है जिस कारण वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है । जमाबन्दी सम्वत २०७४-७७ ग्राम हांसियावास के खाता सं. २२७ में प्रार्थी का नाम सही दर्ज है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 231 तादादी 3.7433 हेक्टेयर रोही हांसियावास तहसील राजगढ़ जिला चूरू की जमाबंदी में खातेदार कृष्ण कुमार का नाम किशन कुमार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कृष्ण कुमार के स्थान पर किशन सिंह दर्ज किया जावे । खर्चा वाद पक्षकारान वाद अपना अपना वहां करेंगे । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19-2-2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)